

राजस्थान सरकार
रकूल शिक्षा विभाग

फलाक : प. 21(16)प्राचि/आयो/SMC/2016 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 16-9-2016

आदेश

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो चुका है। यह अधिनियम 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु लागू किया गया है। अधिनियम की क्रियान्विति के समय राज्य के विद्यालयों में कक्षा-1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष लागू कर दी गयी।

वर्तमान में सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य में केन्द्र सरकार के अधीन संचालित होने वाले केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा-1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है तथा राज्य के अधिकारी गैर-सरकारी विद्यालय जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा सम्बद्ध है उनमें भी कक्षा-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित है। साथ ही यह भी ध्यान में लाया गया है कि राष्ट्रीय मिलिट्री रकूलस् एवं सैनिक विद्यालयों में कक्षा-6 में प्रवेश दिये जाते हैं। इन विद्यालयों में कक्षा-6 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 10 वर्ष व अधिकतम आयु 11 वर्ष है। इस कारण राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालक-बालिकाओं को इन विद्यालयों में प्रवेश का अवसर नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बालक-बालिकाओं का कक्षा-1 में प्रवेश 6 वर्ष की आयु के बाद होता है तथा यह बालक-बालिकायें कक्षा-5 उत्तीर्ण करते समय 11 वर्ष से अधिक आयु के हो जाते हैं।

इन समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये तथा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित विद्यालयों के साथ समानता एवं एकरूपता स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार के विद्यालयों में भी कक्षा-1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 5 वर्ष दी जाती है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा-15 एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम-13 में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि में प्रावधान है कि, कक्षा-1 से 8 में कोई भी बालक-बालिका शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ की तिथि से 6 माह की अवधि तक कभी भी प्रवेश ले सकता है। कक्षा-1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु का यह प्रावधान इन बालक-बालिकाओं पर भी रामान रूप से लागू होगा।

(सुनील कुमार शर्मा)

राज्यपाल शासन राजिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आदरशक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), रकूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,
राजस्थान, सरकार, जयपुर।

DD/MO(E)
१३/१६

७८(१२६)
१२

16-09-16

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
19 SEP 2016
1146
प्राप्त किया